



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2421]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2016/आश्विन 12, 1938

No. 2421]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2016/ASVINA 12, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2016

आय-कर

का.आ.3145(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कखक के स्पष्टीकरण के खंड (iii) और धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर अधिनियम, 1962 में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6क- दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए व्यय-(1) धारा 35कखक के प्रयोजन के लिए "वास्तविक रूप में संदाय किया गया है" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(क) जहां निर्धारिती ने स्पैक्ट्रम फीस का पूर्ण अग्रिम रूप में संदाय करने का विकल्प लिया है और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार ने उसे अनुज्ञात कर दिया है वहां उस पूर्व वर्ष, जिसमें व्यय के लिए दायित्व निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखा पद्धति के अनुसार उपगत किया गया था, को ध्यान में न रखते हुए व्यय, का वास्तविक संदाय ;

(ख) जहां निर्धारिती ने आस्थगित संदाय करने का विकल्प लिया है और दूरसंचार विभाग, भारत सरकार ने उसे अनुज्ञात कर दिया है वहां वह रकम, जो निर्धारिती द्वारा तब संदेय हुई होती यदि उसने उस पूर्व वर्ष, जिसमें व्यय के लिए दायित्व निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखा पद्धति के अनुसार उपगत किया गया था, को ध्यान में न रखते हुए स्पैक्ट्रम फीस का पूर्ण अग्रिम रूप में संदाय के लिए विकल्प लिया होता।

(2) उप नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आस्थगित संदाय के मामले में, जहां दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में निर्धारिती असफल रहता है और दूरसंचार विभाग स्पैक्ट्रम के आवंटन या समनुदेशन को समाप्त कर देता है, वहां निर्धारिती अधिकारी, धारा 35कखक की उपधारा (3) के अधीन उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए उस पूर्ण वर्ष, जिसमें कटौती का दावा किया गया है और यह समझ कर उसे प्रदत्त किया गया है कि,-

(i) पर्यवसान की तारीख तक संदत्त स्पैक्ट्रम फीस की कुल रकम "वास्तव में किए गए संदाय" की रकम है;

(ii) "सुसंगत पूर्व वर्ष" की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उसे पर्यवसान की तारीख तक स्पैक्ट्रम प्रवृत्त था,

के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः संगणना करेगा";।

[अधिसूचना सं. 89/2016, फा.सं. 370142/14/2016-टीपीएल]

पीताम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार आय-कर (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2016 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 3080(अ), तारीख. 29/9/2016 के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2016

INCOME-TAX

S.O. 3145(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of Explanation to section 35ABA and section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (24th Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

‘6A.Expenditure for obtaining right to use spectrum for telecommunication services.—(1) For the purpose of section 35ABA, the term “payment has actually been made” shall mean,—

(a) where an assessee has opted and been allowed by the Department of Telecommunications, Government of India to make full upfront payment of spectrum fee, the actual payment of expenditure irrespective of the previous year in which the liability for the expenditure was incurred according to the method of accounting regularly employed by the assessee;

(b) where an assessee has opted and been allowed by the Department of Telecommunications, Government of India to make deferred payment, the amount which would have been payable by the assessee had he opted for full upfront payment of spectrum fee irrespective of the previous year in which the liability for the expenditure was incurred according to the method of accounting regularly employed by the assessee.

(2) In case of deferred payment referred to in clause (b) of sub-rule (1), where there is failure by the assessee to comply with any of the conditions specified by the scheme of the Department of Telecommunications, Government of India and Department of Telecommunications terminates the allotment or assignment of

spectrum, the Assessing Officer shall, in exercise of power vested in him under sub-section (3) of section 35ABA shall re-compute the total income of the assessee for the previous year in which the deduction has been claimed and granted to him by deeming that,—

- (i) the total amount of spectrum fee paid up to the date of termination is the amount of “payment actually been made”;
- (ii) the spectrum was in force up to the date of its termination for the purpose of computing “relevant previous year”;

[Notification No. 89/2016, F.No.370142/14/2016 -TPL]

PITAMBAR DAS, Director (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (23rd Amendment) Rules, 2016, vide notification number S.O. 3080 (E), dated 29/09/2016 .